

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा / सां.आ./रानिआ/14/2800

दिनांक : 09.07.14

अधिसूचना

सां. आ. 84/2014 आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)पंच-नपा/रानिआ/94/7923 दिनांक 10.09.2009 (सां. आ. संख्या 42/2000) के बिन्दु संख्या 6(i) में अंकित कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों हेतु निर्धारित अधिकतम खर्च सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्तमान खर्च सीमा	संशोधित खर्च सीमा
1.	सदस्य नगर निगम हेतु	20000	80000
2.	सदस्य नगर परिषद हेतु	15000	60000
3.	सदस्य नगरपालिका मंडल हेतु	10000	40000

आज्ञा से,

३५५५
(अशोक कुमार जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा / सां.आ./रानिआ/14/2801-12 दिनांक : 09.07.14
प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन हैं कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
6. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करें।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
10. निजी सहायक, उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
11. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

A
(निम्नल कुमार जैन)
सहायक सचिव